

( राजस्थान-सरकार )  
**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 09/2018

**बउनवान**

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारों जयें जिला पुलिस अधीक्षक, बारों  
(सायल)

**बनाम**

गुलाबसिंह पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी (तुलसां) थाना सदर बारों  
(गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3**

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)

2- श्री मदनमोहन नागर अभिभाषक (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 05.01.2021**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल गुलाबसिंह पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी (तुलसां) जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा खेलने की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों में वर्ष 2004 से 2018 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये है। जिनमें न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरुद्ध कुल 02 प्रकरणों में 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढ़ता जा रहा हैं। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं होता है। कानून व्यवस्था एवं लोक-शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर, इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये गये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 13.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि** गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों में वर्ष 2004 से 2018 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये है। जिनमें न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं होता है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

**इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही कर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है।**

अतः मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही कर मुझे पुलिस थाना बपावरकलां, जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों में वर्ष 2004 से 2018 तक की अवधि में कुल 06 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये है। जिनमें न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरुद्ध कुल 02 प्रकरणों में 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि गुलाबसिंह पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी (तुलसां) जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल गुलाबसिंह पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी (तुलसां) जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारों से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल गुलाबसिंह पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी (तुलसां) जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सदर बारों, जिला बारों क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां, जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 21.01.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां, जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बारां, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावरकलां, जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

( मोहम्मद अबूबक्र )  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां